प्रधान के पुत्र को धारा 06 के अन्तर्गत मौजा का प्रधान पद पर नियुक्त किया गया है, जो न्यायसंगत नहीं है। अतः इसे विलोपित किया जाय।

विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि पूर्व प्रधान की मृत्यु माननीय उच्च न्यायालय में अपील लंबित रहते ही मृत्यु हो चुकी है। माननीय उच्च न्यायालय, झारखंड रांची के डब्लू.पी.(सी.) नं0 3108/2004 में पारित आदेश के अनुसार पूर्व प्रधान पर लगाया गया आरोप (दोष) उनके उत्तराधिकारी पर लागू नहीं होगा। ऐसी स्थिति में निम्न न्यायालय द्वारा विपक्षी को धारा 06 के अन्तर्गत किया गया नियुक्ति सही है।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों से स्पष्ट होता है कि पूर्व प्रधान की बर्खास्तगी को माननीय आयुक्त के न्यायालय तक बरकरार रखाा गया है एवं इसके विरूद्ध में दायर माननीय उच्च न्यायालय में वाद लंबित रहते ही उनकी मृत्यु हो गयी। तत्पश्चात विपक्षियों (पूर्व प्रधान के वारिशानों) को उक्त वाद में प्रतिस्थानी बनाया। इसके पश्चात भी निम्न न्यायालय द्वारा विपक्षियों को मौजा का प्रधान धारा 06 के अन्तर्गत नियुक्त किया गया है। सं0प0 काश्तकारी अधिनियम के शिउड्ल V के अनुसार प्रधान पद से बर्खास्त करने की शक्ति उपायुक्त को प्रदत्त है एवं इसके विरूद्ध अपील माननीय आयुक्त के न्यायालय में करने का प्रावधान है। विपक्षी के पिता (पूर्व प्रधान) को बर्खास्तगी आदेश को माननीय आयुक्त न्यायालय तक बरकरार रखा गया है।

जे.सी.आर. 101 (Jhr.) पेज सं0 101 में प्रकाशित एल.पी.ए. नं0 292/2011 में पारित आदेश दिनांक 20.07.2012 में उल्लेख है :–

> A Headman who has dismissed, his descendants cannot incur any disqualification except the disqualification of claiming Headman ship on hereditary right- Words "The heir of Headman dismissed for misconduct shall have no right to claim to office."

इस प्रकार स्पष्ट है कि विपक्षियों को पूर्व बर्खास्त प्रधान के स्थान पर सं0प0 काश्तकारी अधिनियम के धारा 06 के अन्तर्गत नियुक्त किया गया है जो नियमानुकूल सही नहीं है। अतः निम्न न्यायालय के आदेश को विलोपित किया जाता है तथा अनुमंडल पदाधिकारी को आदेश दिया जाता है कि मौजा का प्रधान पद पर धारा 05 के अन्तर्गत नियुक्त किया जाय।

लेखापित एवं संशोधित ।

उपायुक्त
दुमका।

उपायुक्त
दुमका।

उपायुक्त का न्यायालय, दुमका

आर0एम0आर0 सं0– 12/2015–16.

चिगर राय एवं अन्य ..... आवेदक

बनाम

लालदेव राय एवं अन्य ..... विपक्षी

।। आदेश ।।

23/02/2016 यह आर0एम0आर0 वाद सं0– 12/2015–16 चिगर राय एवं अन्य बनाम् लालदेव राय एवं अन्य, मौजा साधुडीह, अंचल रामगढ़ के बीच अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका के पी0ए0 वाद सं0– 130/2012–13 में पारित आदेश दिनांक 16.02.2015 के विरूद्ध दायर किया गया है।

मैंने उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख में उपलब्ध कागजातों का अवलोकन किया।

अभिलेख में उपलब्ध कागजातों एवं उभय पक्षों द्वारा दाखिल लिखित बहस के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि मौजा का अंतिम प्रधान हीरा राय (विपक्षी के पिता) थे। उन्हें उपायुक्त, दुमका के रे0मि0 अपील वाद सं0 137/1987–88 आदेश दिनांक 24.06.1989 द्वारा मौजा के प्रधान पद से बर्खास्त किया गया। इस आदेश को माननीय आयुक्त, सं0प0 प्रमंडल, दुमका द्वारा रे0मि0 अपील वाद सं0– 70/1989–90 दिनांक 17.04.1995 को भी बरकरार रखा गया। इस आदेश के विरूद्ध में माननीय उच्च न्यायालय बिहार पटना में सी.डब्लू.जे.सी. नं0 4903/1995 में दायर किया गया। बाद में इस याचिका को माननीय उच्च न्यायालय, झारखंड रांची में निष्पादनार्थ हस्तान्तरण किया, जिसे सी.डब्लू.जे.सी. नं0 4903/1995(T.P) के रूप में दर्ज किया। इस वाद के लंबित रहते ही अंतिम प्रधान (विपक्षी के पिता) की मृत्यु हो गयी। उनके स्थान पर विपक्षियों को प्रतिस्थानी बनाया गया। तत्पश्चात माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 19.04.2012 को आदेश पारित किया गया जिसमें आदेश दिया गया कि नियमानुसार प्रधान पद पर नियुक्त किया जाय। तत्पश्चात विपक्षी एवं अन्य द्वारा निम्न न्यायालय में प्रधान पद पर नियुक्ति हेतु पी0ए0 वाद सं0 130/2012–13 दायर किया गया। जिसमें विपक्षी (पूर्व प्रधान के पुत्र) को मौजा के प्रधान पद पर धारा 06 के अन्तर्गत नियुक्त किया गया।

इस पर आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि पूर्व प्रधान के बर्खास्तगी को माननीय आयुक्त न्यायालय तक बरकरार रखा गया है। इस न्यायालय के आदेश के विरूद्ध में माननीय उच्च न्यायालय में लंबित रहते ही पूर्व प्रधान की मृत्यु हो चुकी है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा नियमानुसार प्रधान नियुक्ति करने का आदेश दिया गया है। किन्तु बर्खास्त